

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- उगम कुंवर

विपक्षी :- उम्मेदसिंह

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 4 जा.दी.

पत्रावली संख्या : 45/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 22.09.2021</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता वादी श्री ओमप्रकाश डागलिया द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीयां महाराष्ट्र में थी, जिस कारण पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाई। अधिवक्ता से भी सम्पर्क नहीं होने के कारण प्रकरण दिनांक 19.12.19 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया। प्रार्थीया का स्वास्थ्य खराब होने से प्रार्थीया पेशी की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी एवं अधिवक्ता से भी सम्पर्क नहीं होना बताया। उसके पश्चात् कोरोना महामारी के कारण लोकडॉउन लग गया जिस कारण प्रार्थीया महाराष्ट्र में ही फस जाने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाई। कृषि भूमि से सम्बन्धित वाद होने से प्रार्थीयां का हित निहित है। जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र पेश किया, जो अन्दर मयाद होना बताकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थीयां की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 230/17 अनवान उगम कुंवर बनाम उम्मेदसिंह दिनांक 19.12.2019 को वादीयां व प्रतिवादीगण दोनो अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण दिनांक 19.12.2019 को वादीयां का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो अन्दर मयाद है। प्रकरण पुराना होकर कृषि भूमि से सम्बन्धित होने से वादीयां को सुना जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा. दी. का न्यायहित में कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित हैं।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का 1,000/— अक्षरे एक हजार रूपये की कोस्ट पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 230/17 अनवान उगम कुंवर बनाम उम्मेदसिंह में आदेश दिनांक 19.12.2019 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा रसीद पेश करें। पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष IAS) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

